

13/6/22

पत्रावली के अन्तर्गत इतिवृत्त वारी के  
 सहायक उपपत्नी का परिवारी गण की  
 तलबी हेतु कोर्टो ल प्रस्तुत करने का  
 अर्जन चाले की पूर्व से पर्याप्त अवसर  
 दिए जा चुके हैं एवं दिनांक 14/3/2022  
 को कोर्टोम अवेस्य दिए जाने के बावजूद  
 कोर्टो ल प्रस्तुत नहीं किए गए हैं  
 इस प्रकार का 7 वर्ष 2018 से तलबी की  
 हेतु या विचारणीय है। अतः प्रकार  
 अर्जित आरोप 9 निमाम 2 जा. डी. के  
 तहत खारिज किया जाता है (पत्रावली का सारा  
 शुमा होका नम्बर से कम है।

2018  
00360



(बलराम सुन्दर विनोद)  
 प्रधान कार्यवाही एवं  
 उपसहाय अधिकारी  
 विनोद (रज.)